रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 1974/भाद्र 30, 1896
No. 233] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1974/BHADRA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Cabinet Secretariat Library
8 OCT 1974
Govt. of India

## MINISTRY OF COMMERCE

### PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 21st September 1974*

SUBJECT.—*Import licences issued under IDA Credits for Railways.*

**No. 142-ITC(PN)/74.**—Attention is invited to paras 3 and 4 of Ministry of Commerce Public Notice No. 39-ITC(PN)/73 dated 22nd March, 1973, according to which import licences issued under IDA Credits for Railways Nos. 162-IN and 280-IN could be extended, and letters of credit made valid beyond March 31, 1973, to accord with the terms and conditions governing foreign exchange releases given, or extensions permitted from time to time in each case, as conveyed by the Ministry of Railway s (Railway Board).

2. The Railways have obtained another IDA Credit 448-IN. The balance payments, if any, against import licences already issued under previous IDA Credits can, therefore, be financed from the current IDA Credit. As foreign exchange releases under IDA Credits and extensions for their utilisation from time to time, are given having regard to the conditions of the credits and their availability, the Import Licences under IDA Credits for Railways will continue to be issued/extended in accordance with such foreign exchange releases/extensions as conveyed by the Ministry of Railways (Railway Board).

3. The foreign exchange releases under IDA credits for Railways indicate one of the following three procedures for payment in respect of the foreign exchange component, which is stipulated in the Import Licence:—

(a) Case I—Reimbursement procedure.

(b) Case III—Direct payment procedure.

(c) Case VI—Qualified agreement to reimburse.

4. The payment procedures indicated in para 3 above are elucidated briefly here below:—

(i) *Case I—Re-imbursement procedure.*

Under this procedure, the payment is initially made unless otherwise specified, in the currency of the country of origin of goods, to the foreign suppliers through normal banking channels, either against letter of credit or otherwise, as may be contractually due, and is marked off in the exchange control copy of the Import Licence. Within fifteen days of such remittance, the licensee shall forward to the Joint Director, Finance (L&F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi, following documents for claiming reimbursement from IDA:—

(a) Invoice.

(b) Bill of lading or Airway bill.

(c) Bankers' certificate showing remittance to foreign suppliers.

(d) Copy of contract.

The authorised dealer in foreign exchange, through whom the remittance is arranged, shall also send a copy of the Invoice, Bill of lading and certificate of payment to the Joint Director, Finance (L&F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi, as soon as a remittance in foreign exchange is made against the Import Licence.

(ii) *Case III—Direct payment procedure.*

Under this procedure, no remittance in foreign exchange from India is permitted, excepting payments to be made in Indian Rupees in India such as Agency commission to Indian Agents, payment of ocean-freight on FOB shipments, and insurance to Indian Insurers. Therefore, no letter of credit can be opened under this payment procedure. For making payments to foreign suppliers where due, a payment authority in accordance with the procedure prescribed by the Ministry of Railways (Railway Board) from time to time, shall be sent by the authorised Accounts Officer of the concerned Railways, Production Units etc. to the Joint Director, Finance (L&F), Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi, who will in turn arrange with International Development Association for making the payment directly to the foreign suppliers.

In case of FOB shipments, where payment of ocean freight is made in Indian rupees in India, which is not reimbursable by IDA, the authorised dealers in foreign exchange shall issue necessary freight certificate indicating that the amount has been marked off in the Import Licence.

(iii) *Case VI—Qualified agreement of IDA to reimburse.*

According to this procedure, IDA will give a qualified agreement to reimburse the negotiating bank for payments made by them under a letter of credit. This qualified agreement to reimburse shall be given by the IDA, only on a request made through the authorised representative of the Ministry of Railways, by the Banks opening and negotiating the letter of credit.

5. In view of what has been stated in para 2 above, opening/extension of letter of credit shall be done by the authorised dealer in foreign exchange upto the period of validity of the Import licence for shipments and payments, where the payment procedure prescribed is Case I—Reimbursement procedure, and the requisite documents forwarded as stated in para 4(i) above.

6. Where the shipment is made on C&F basis on vessels belonging to a member country of the World Bank, other than India, the ocean freight should be pre-paid. If the shipment is made by an Indian vessel, the invoice should be drawn on FOB basis only, and the freight paid in Indian rupees at the destination in India. Shipment on C&F basis under IDA credit shall in no case be made by a non-member country or Indian vessels.

7. In case of FOB shipments, where payment of ocean freight is made in India in Indian rupees, there is no objection to shipments being made by any vessel including Indian or non-member country vessels.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

**वाणिज्य मंत्रालय**

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1974

**विषय.**—रेलवे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों के अधीन जारी किये गये आयात लाइसेंस ।

**सं० 142 आई०टी० सी० (पी० एन०) 74.**—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 39–आई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 22 मार्च, 1973 के पैरा 3 और 4 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । जिनके अनुसार रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की रिहाई को नियंत्रित करने वाली शर्तों या रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समय समय पर प्रत्येक मामले में अनुमेय वृद्धि के मामले में अनुरूपता प्रदान करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण सं० 162 आई० एन० और 280 आई० एन० के अधीन जारी किये गये आयात लाइसेंसों में वृद्धियां की जा सकीं और साख पत्र 31 मार्च, 1973 के आगे वैध किये गये ।

2. रेलवे ने एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण 448–आई एन प्राप्त कर लिया है । इस लिए यदि पहले अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों के अधीन पहले ही जारी किये गये आयात लाइसेंसों के प्रति कोई भुगतान करना बाकी हो तो उसके लिए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण से वित्तदान किया जा सकता है । चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों के अधीन विदेशी मुद्रा की रिहाई और उसके उपयोग के लिये समय समय पर वृद्धि, ऋणों की शर्तों और उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये प्रदान की जाती है, इसलिए रेलवे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों के अधीन आयात लाइसेंस को जारी करना, उनमें वृद्धि करना ऐसी विदेशी मुद्रा रिहाई वृद्धि के अनुसार जारी रहेगा जो रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा सूचित किया जाएगा ।

3. रेलवे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अधीन विदेशी मुद्रा की रिहाई विदेशी मुद्रा घटक जो आयात लाइसेंस में अनुबंधित है, के संबंध में भुगतान के लिये निम्नलिखित तीन क्रियाविधियों में से एक को निर्दिष्ट करती है :–

(क) प्रकरण 1–प्रतिपूर्ति क्रियाविधि ।

(ख) प्रकरण 3–प्रत्यक्ष भुगतान क्रियाविधि ।

(ग) प्रकरण 6–प्रतिपूर्ति करने के लिए अहंक समझौता ।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट की गई भुगतान क्रियाविधियां संक्षिप्त रूप से नीचे स्पष्ट की जाती है:–

(1) **प्रकरण 1—प्रतिपूर्ति क्रियाविधि**

इस क्रियाविधि के अधीन प्रारम्भ में भुगतान, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, माल के मूल उद्गम के देशी की मुद्रा में या तो साख पत्र के प्रति या संविदा की शर्तों के अनुसार देय अन्य तरीके से सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से संभरकों को किया जाता है और उसे आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति में अंकित किया जाता है । लाइसेंसधारी ऐसे धन परेषण के 15 दिनों के भीतर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्रतिपूर्ति का दावा करते हुये निम्नलिखित दस्तावेज संयुक्त निदेशक, वित्त (एल एंड एफ), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित करेगा:–

(क) बीजक

(ख) लदान बिल या वायुमार्ग बिल

(ग) विदेशी संभरक को धन परेषण प्रदर्शित करते हुये बैंकरों का प्रमाण पत्र

(घ) संविदा की प्रति

जैसे ही आयात लाइसेंस के प्रति विदेशी मुद्रा में धन परेषण किया जायेगा विदेशी मुद्रा का वह प्राधिकृत व्यापारी भी जिस के माध्यम से धनपरेषण की व्यवस्था की गई है, बीजक की एक प्रति, लदान बिल और भुगतान के प्रमाण पत्र की संयुक्त निदेशक, वित्त (एल एंड एफ), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजेगा ।

(2) **प्रकरण–3–सीधे भुगतान क्रियाविधि**

इस क्रियाविधि के अन्तर्गत भारत में भारतीय रुपये में किये जाने वाले भुगतानों जैसे भारतीय अभिकर्ताओं के लिये कमीशन आयोग, जहाज पर निशुल्क पोतलदानों पर समुद्र-भाड़े के भुगतान एवं भारतीय बीमाकर्ता के लिये बीमा को छोड़कर भारत से विदेशी मुद्रा में किसी भी अन्य प्रकार के प्रेषण को स्वीकृति नहीं दी जाती है । इसलिये प्रस्तुत भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत कोई भी साख-पत्र नहीं खोला जा सकता है । जहां कहीं देय हो, विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिये, समय समय पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार एक भुगतान प्राधिकार पत्र, सम्बद्ध रेलवे, उत्पादन यूनिट आदि के प्राधिकृत लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त निदेशक, वित्त (एल एंड एफ), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली को भेजा जायेगा जो इसके बदले में विदेशी संभरकों को सीधे भुगतान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ व्यवस्था करेगा ।

जहाज पर निशुल्क पोतलदानों के मामले में, जहां समुद्र भाड़ा भारत में भारतीय रुपये में अदा किया गया है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रति पूर्ति के योग्य नहीं है तो विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी यह संकेत करते हुये आवश्यक भाड़ा प्रमाण पत्र जारी करेगा कि आयात लाइसेंस में धनराशि चिन्हित कर दी गई है ।

(3) **प्रकरण–6–प्रतिपूर्ति के लिये अन्तराष्ट्रीय विकास संघ का अर्हक समझौता**

इस क्रियाविधि के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ सौदा करने वाले बैंक को उन के द्वारा इस साख पत्र के अन्तर्गत किये गये भुगतानों के लिये प्रतिपूर्ति के लिए एक अर्हक समझौता प्रदान करेगा । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रतिपूर्ति के लिये यह अर्हक समझौता, सौदा करने वाले और साख पत्र खोलने वाले बैंकों द्वारा रेल मंत्रालय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन करने पर ही प्रदान किया जायेगा ।

5. उपर्युक्त कंडिका 2 में जो कुछ बताया गया है उसे ध्यान में रखते हुये, जहां निर्धारित भुगतान क्रियाविधि प्रकरण–1 प्रतिपूर्ति क्रियाविधि है और उपयुक्त 4 (1) में यथा संकेतित आवश्यक दस्तावेज भेज दिये जाते हैं तो, विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा पोतलदान और भुगतानों के लिये आया लाइसेंस को वैधता अवधि तक ही साख पत्र खोले जायेंगे/उनमें वृद्धि की जाएगी ।

6. जहां पोतलदान लागत एवं भाड़ा के आधार पर भारत से भिन्न विश्व बैंक के सदस्य देश से सम्बद्ध पोतों में किया जाता है तो समुद्र भाड़ा पहले ही अदा कर देना चाहिए । यदि पोतलदान भारतीय पोत द्वारा किया जाता है तो बीजक जहाज पर निशुल्क मूल्य के लिये ही लिया जाना चाहिए और भाड़ा भारत में नियत स्थान पर ही अदा किया जाना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ क्रेडिट के अन्तर्गत लागत एवं भाड़ा के आधार पर पोतलदान, किसी भी सूरत में गैर सदस्य देश अथवा भारतीय पोतों द्वारा नहीं किये जायेंगे ।

जहाज पर निशुल्क पोतलदानों के मामले में, जहां समुद्र भाड़ा भारत में भारतीय रुपये में अदा किया जाता है तो भारतीय अथवा गैर सदस्य देश के पोतों सहित किसी भी पोत द्वारा किये जा रहे पोतलदानों के लिये कोई आपत्ति नहीं है ।

वी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974